

क्रमांक Z.28015/05/2024- स्था. II
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्थापना-II अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 22-05-2024 :

परिपत्र

विषय: अनुबंध के आधार पर केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (सीएमएचए), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में लेखाकार की नियुक्ति।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर लेखाकार के रूप में नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। लेखाकार की तैनाती सीएमएचए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में होगी। लेखाकार की नियुक्ति से संबंधित विस्तृत नियम व शर्तें संलग्न हैं। योग्यता-मानदंड व अन्य विवरण निम्न प्रकार से हैं:

1.	अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले परामर्शदाता की संख्या	1
2.	आयु सीमा	आवेदन की तारीख पर अधिकतम वर्ष 63
3.	कार्यस्थल	सीएमएचए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.	सविदा की अवधि	एक वर्ष
5.	पात्रता	अनुलग्नक के अनुसार
6.	कार्यभार	

2. इच्छुक व्यक्ति जो तत्काल रूप से पद को सँभालने की स्थिति में हैं वे इस परिपत्र के जारी होने के एक महीने के अन्दर सम्बंधित दस्तावेजों (PPO) के साथ संलग्न प्रारूपों में अपना विवरण "अवर सचिव(प्रशासन), कमरा नंबर-330 'सी-विंग', निर्माण भवन" को संबोधित करते हुए " सी. आर. अनुभाग, गेट नंबर-6, ग्राउंड फ्लोर, निर्माण भवन, नई दिल्ली" में जमा करा दें।

3. हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण का पालन किया जाएगा ।

Signed by

Amit Kumar Sharma

Date: 22-05-2024 13:34:00

(अमित कुमार शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
टैलीफैक्स: 23061323

1. विभाग की वेबसाइट में परिपत्र के प्रकाशन हेतु एन.आई.सी. को प्रतिलिपि
2. ई ऑफिस नोटिस बोर्ड
3. नोटिस बोर्ड
4. अवर सचिव (सीएस. I) (ध्यानाकर्षण: श्री सुनील कुमार), लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - डीओपीटी की वेबसाइट पर परिपत्र प्रकाशित करने के लिए।

क्र.सं.	कार्यभार (अवधि - एक वर्ष)	पात्रता
1	<p>केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के निम्नलिखित मामले में सहायता करना</p> <p>(ए) केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण सचिवालय (CMHAS) के बैंक खाता का रखरखाव, आयकर रिटर्न दाखिल करना आदि जिसमें सीएमएचए(CMHA) के सभी वित्तीय मामले शामिल हैं।</p> <p>(बी) रिपोर्टिंग प्रारूपों पर ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि, संकलन, विश्लेषण और डेटा प्रबंधन।</p> <p>(सी) डेटा प्रोसेसिंग, व्याख्या और रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करना।</p> <p>(डी) प्रगति रिपोर्ट और जानकारी के संबंध में राज्यों और विभिन्न संस्थानों से प्राप्त रिकॉर्ड का रखरखाव।</p> <p>(ई) निगरानी और मूल्यांकन में सहायता करना।</p> <p>(एफ) वजटीय प्रदर्शन की निगरानी करें और वार्षिक बजट तैयार करने में सहायता करें।</p> <p>(छ) वित्तीय लेनदेन की सटीकता और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए नियमित बैंक समाधान करें।</p> <p>(ज) आंतरिक और बाह्य ऑडिट की तैयारी में सहायता करना और ऑडिट के दौरान आवश्यक दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रदान करना।</p> <p>(जे) डेटा बेस निगरानी प्रारूप और रिपोर्ट विकसित करना।</p> <p>(जे) रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार सौंपा गया कोई अन्य कार्य।</p>	<p>लेखाकार का एक पद</p> <ul style="list-style-type: none"> • लेखाकार या वरिष्ठ लेखाकार स्तर पर सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के अधिकारी। • <u>वांछित योग्यता एवं अनुभव-</u> अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और एमएस एक्सेल(MS-Excel) का उपयोग करके डेटा प्रोसेसिंग और व्याख्या। कंप्यूटर कौशल, इंटरनेट, वेब सर्फिंग में अनुभव।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु नियम व शर्तें:-

1	परामर्शदाता को नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों को करना होगा।
2	सामान्य कार्यालयी समय सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 5.30 बजे से सायं 9.00 बजे तक होंगे जिसमें अपराह्न मिनट का लंच ब्रेक होगा। 30 बजे तक 1.30 बजे से 1.00
3	परामर्शदाता एक वर्ष की नियुक्ति अवधि के दौरान सेवा के हर पूरे महीने के लिए 1.5 दिन की छुट्टी का हकदार होगा जिसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
4	विशेष परिस्थितियों में, परामर्शदाता को छुट्टियों में कार्य के लिए बुलाया जा सकता है या सामान्य कार्यालयी घंटों से अधिक समय के लिए रोका जा सकता है।
5	संविदात्मक नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए है जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
6	परामर्शदाता को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान टीडीएस आदि के अधीन पेंशन को घटाकर अंतिम लिए गए वेतन के फार्मूले के अनुसार किया जाएगा। माह में किए जाने वाले कार्य के पारिश्रमिक का भुगतान अगले माह में किया जाएगा। कार्यालयी दौरे करने पर टीएअन्य कोई भत्ता डीए को छोड़कर/ देय नहीं होगा। टीएडीए पात्रता वही होगी जिसके लिए वे सेवानिवृत्त होते समय पात्र थे।
7	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास परामर्शदाता की सेवाओं की जांचसमीक्षा करने का / अधिकार होगा।
8	वह अपने दायित्वों को पूरे कौशलक्षमता व किफायत के साथ करेंगे।
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन्हें कोई भी चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। पारिश्रमिक में चिकित्सा संबंधी लागत को कवर किया माना जाता है यदि कोई हो। ,
10	मंत्रालय यात्रा सहित उन्हें कार्य करते समय या उसके अलावा होने वाली किसी भी हानि , दुर्घटना , क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।/तुकसान
11	सेवाकाल के दौरान वो किसी भी व्यावसायिक के कार्यकलाप के निजी व्यापार में शामिल नहीं होंगे , जो सरकार से हित का टकराव पैदा करें।
12	वह सभी सरकारी जानकारी को गोपनीय रखेंगे और उपर्युक्त का उपयोग केवल कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य हेतु ही करेंगे।
13	सेवा को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस दिए जाने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर
लेखाकार के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन प्रारूप

आवेदित पद:

नाम

पिता का नाम

जन्म की तारीख

आधार नंबर

सेवानिवृत्ति की तिथि

विभाग से सेवानिवृत्त हुए

पदनाम अंतिम बार आयोजित हुआ

अंतिम आहरित वेतन (मूल)

वेतन स्तर/ग्रेड वेतन

मूल पेंशन

टेलीफोन नंबर।

मोबाइल नहीं है।

ईमेल आईडी

डाक पता

स्थायी पता

शैक्षणिक योग्यता

कार्य अनुभव (अलग शीट जोड़ना आवश्यक है)

नवीनतम
पासपोर्ट
आकार का
फोटो
चिपकाएँ

संगठन/संस्थान	अवधि		कार्य की प्रकृति	टिप्पणी
	से	को		

मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी इस आवेदन को जमा करने की तिथि तक सत्य और सही है। मैं समझता हूँ कि जानकारी रोकने या गलत जानकारी देने पर नौकरी से इनकार/रोज़गार से बर्खास्तगी/नागरिक दंड दिया जाएगा।

जगह

तारीख

(हस्ताक्षर)